न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि. 13886-II-15

प्रकरण क्रमांक / 2015 निगरानी

श्री शंकर सिंह तोमर अभि. द्वारा आज दि. 1-12-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-12-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती राजकुमारी पटेल पुत्री स्व. श्री फूलचन्द्र पटेल पत्नी मोहनलाल जाति कर्मी आयु 41 साल निवासी ग्राम दुवगवा कुर्मियान थाना व तहसील मउगंज जिला रीवा म.प्र.
2. मोहनलाल पटेल पुत्र श्री कालूप्रसाद आयु 39 साल निवासी ग्राम दुवगवां कुर्मियान थाना तहसील तहसील मउगंज जिला रीवा म.प्र..

.... निगरानीकर्ता

शंकर सिंह तोमर
01/12/15

बनाम

1. संजय पटैल पुत्र स्व. श्री विधा निवास पटेल आयु 40 साल
2. जन्मजय प्रसाद पिता श्री विधानिवास आयु 28 साल
3. संजीव पटेल पुत्र स्व. श्री विधानिवास पटैल आयु 30 साल
4. मेवालाल पुत्र श्री रामगोपाल पटेल आयु 60 साल
5. बहादुर लाल पुत्र श्री रामगोपाल पटेल आयु 50 साल
6. श्रीपति पटेल पुत्र राममणि पटेल आयु 55 साल
7. रघुनंदन पटेल पुत्र राममणि आयु 61 साल सभी जाति कुर्मी निवासी ग्राम दुवगंवा कुर्मियान जिला रीवा म.प्र.

.... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3886–2/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश राजकुमारी/संजय पटेल	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–12–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री शंकर सिंह तोमर उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये । उन्होंने बताया कि उनके द्वारा वादभूमि का सीमांकन कराया गया था, जिसमें अनावेदक का अनाधिकृत कब्जा एवं निर्माण पाये जाने के फलस्वरूप धारा 250 के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी,। उन्हेंने यह भी बताया कि इसी विषय मे पहले भी राजस्व मण्डल में प्रकरण कमांक निगरानी 2841/2/2015 प्रस्तुत हुआ था जिसमें राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 4.9.2015 से तहसीलदार मऊगंजको तीन माह की अवधि के भीतर प्रकरण में कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वहां अभी कार्यवाही प्रचालित है। अतः, तहसीलदार को यह पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 2841/2/15 में पारित आदेश दिनांक 4.9.15 के अनुपालन में समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करते हुए बोलते स्वरूप का न्यायपूर्ण आदेश पारित करें। यदि आवेदक द्वारा स्थगन हेतु पुनः आवेदन दिया जाता है तो ऐसे आवेदन के गुणदोष का परीक्षण कर अधिकतम 89 दिवस तक के लिये उसमें स्थगन दिये जाने पर उसी पर विचार कर उस पर बोलते स्वरूप का योग्य निर्णय अभिलिखित करें ताकि पक्षकार को कोई ऐसी क्षति ना हो जिसकी बाद में, यदि उसका विधिक अधिकार पाया जाता हो तो बावजूद, उसकी पूर्ति नहीं की जा सके, एवं यदि ऐसा स्थगन दिया जाता है तो ऐसे स्थगन की अधिकतम अवधि 89 दिवस समाप्त होने के पूर्व उनके न्यायालय के इस प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण करना सुनिश्चित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे। प्रकरण दा.रि.हो। सदस्य	